27/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

[illegible]
[illegible] 2018 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2, 3, 4 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner

हुक्म

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

"राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. यादव, R.A.S.

प्रकरण संख्या 531 / 2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

रूपा पत्नि मोती माली

निवासी फाकोलिया — प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~

बनाम

रामस्वरूप पिता मोहनलाल बलाई वगैरह

निवासी फाकोलिया — ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण

उपस्थित :— श्री दीपक पारीक

अभिभाषक : प्रार्थी

निर्णय — दिनांक 27/6/18

प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :— प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ के ग्राम फाकोलिया तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 583 रकबा 1.24 कुल किता 1 रकबा 1.24 हैक्टयर का प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ एवं ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमांचिन्ह नही होंने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम फाकोलिया संवत 2070 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फाकोलिया मे स्थित प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 1 रकबा 1.24 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन नं हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / ~~प्रार्थीगण~~ से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

के. आर. यादव

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः—तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner